निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 34 / 2024
दायरा दिनांकः—29.07.2024
निर्णय दिनांकः— 03.12.2024

उनवान

भागचन्द ओझा आयु 59 वर्ष पुत्र बुद्धा जाति खाती निवासी ग्राम तीतरखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 03.12.2024

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि ग्राम आकोदियापार तहसील छबड़ा मे भूमि खाता संख्या 25 / 32 की खसरा नम्बर 64 / 1 रकबा 0.0253 हैक्टयर खसरा नम्बर 88 की रकबा 0.1138 हैक्टयर कुल किता 2 कुल तादादी 0.1391 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का 1 / 4 हिस्सा निहित है जिसे प्रार्थी ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी परिवार मे सबसे छोटा सदस्य था इसलिए परिवार मे सभी सदस्य छोट्या के नाम से जानते थे जब प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हुआ उस समय हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल खोला तब प्रार्थी का नाम छोटया लिख दिया जबकि प्रार्थी उस समय नासमझ नाबालिंग था जब प्रार्थी बड़ा हुआ उस समय स्कूल में भर्ती कराया तब प्रार्थी का नाम भागचंद लिखवा दिया गया और आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक डायरी व अन्य दस्तावेजात मे भी प्रार्थी का नाम भागचंद है जबकि नकल जमाबंदी में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण खोला तब भागचंद के स्थान पर छोटया दर्ज कर दिया है। प्रार्थी के उक्त दस्तावेजो मे भागचंद होने से खेती का मुआवजा राशि व के०सी०सी० लेने मे प्रार्थी को काफी असुविधा होती है एंव राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है। उक्त त्रुटि हल्का पटवारी की लापरवाही से हुई है इसलिए उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में है। प्रार्थी ने जब खाता दुरूस्ती का आवेदन तहसीलदार छबड़ा को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिया तब हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि 136 एल०आर०एक्ट का दावा करने की कहने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम अकोदियापार सम्वत् सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 25 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति पहचान पत्र फोटो प्रति राशन कार्ड फोटो प्रति बैंक पास बुक फोटो प्रति जन आधार कार्ड प्रस्तुत किये गये।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम अकोदियापार तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है प्रार्थी परिवार में सबसे छोटा सदस्य था इसलिए परिवार में सभी व्यक्ति छोट्या के नाम से पुकरतें थे। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थी का नाम छोट्या दर्ज कर दिया प्रार्थी उस समय नाबालिग था। प्रार्थी जब बडा हुआ तो प्रार्थी का नाम स्कुल में भागचन्द लिखवा दिया। प्रार्थी का अन्य दस्तावेजो में भागचन्द है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भागचन्द है प्रार्थी को के.सी.सी. व अन्य राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी आ रही है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में छोट्या के स्थान पर भागचन्द दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम अकोदियापार सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 25 में प्रार्थी का नाम छोट्या पुत्र बुद्धा हिस 1/4 जाति खाती दर्ज है प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक एवंज न आधार कार्ड, में भागचन्द पुत्र बुद्धा दर्ज है इस सम्बन्ध में प्रार्थी के नाम की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार छबडा से प्राप्त की गई। तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम अकोदियापार की आराजी खाता संख्या 25 के खसरा नम्बर 64/1 व 88 कुल 2 किता में खातेदार छोट्या पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/4 जाति खाती सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी भागचन्द ओझा हाल निवासी तीतरखेडी है। ग्राम वासियों से जानकारी में छोट्या पुत्र बुद्धा जाति खाती व भागचन्द पुत्र बुद्धा जाति खाती दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। माल आकोदियापार के खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 64/1 व 88 किता 2 में छोट्या पुत्र बुद्धा जाति खाती सा0देह के स्थान पर छोट्या उर्फ भागचन्द पुत्र बुद्धा जाति खाती दर्ज करने की अनुशंषा की है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम भागचन्द है तहसीलदार छबडा की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम आकोदियापार तहसील छबडा के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

64/1 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 88 रकबा 0.1138 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1391 है भूमि में प्रार्थी का नाम छोट्या पुत्र बुद्धा के स्थान पर भागचन्द उर्फ छोट्या पुत्र बुद्धा जाति खाती दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा